

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

सं. 36/18
8.6.18

401
8/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सैंगरपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक सुनील की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार ✓ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सैंगरपुर तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 202 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	202 सैंगरपुर	202	प्रभू मिश्री रामपाल पि. दीपचन्द हि. 1/2 हि. व. हरेर पुत्र शिबू हि. 1/2 कौं पमार सा. दे. पु. क.	प्रभू मिश्री रामपाल पि. दीपचन्द हि. 1/2 हि. व. हरेर पुत्र शिबू हि. 1/2 कौं जादव सा. दे. पु. क.



08/06/18

(उप खण्ड अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत, कैम्प सैंगरपुर

उप खण्ड अधिकारी, करौली

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।